

**मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां**

**1389. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:**

**डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:**

**श्री दयाकर पसुनूरी:**

**श्रीमती कविता मलोथु:**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तेलंगाना में मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2018-19 तथा 2020-21 के बीच मंत्रालय में प्राप्त 7.46 लाख आवेदनों में से केवल 4.6 आवेदकों को ही छात्रवृत्तियां मिलीं;
- (ख) यदि हां, तो केवल आधे आवेदकों को मंजूर करने के क्या कारण हैं; और
- (ग) विभिन्न राज्यों को उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार मंजूर की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री**

**(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)**

(क) और (ख): यह मंत्रालय तेलंगाना सहित सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में संचालित करता है:-

कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम  
इस स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी पात्र उम्मीदवारों के चयन और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। विभाग द्वारा सीधे आवेदन आमंत्रित नहीं किए जाते हैं।

ओबीसी और अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम

ओबीसी और अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और छात्रवृत्तियों के आगे वितरण के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती थीं। वर्ष

2018-19 और वर्ष 2020-21 के बीच ओबीसी और अन्यो के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत तेलंगाना राज्य को कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं।

दिव्यांग छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम

इस स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर तेलंगाना राज्य से 72 आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी 72 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई है।

(ग) : वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित, मंजूर छात्रवृत्तियों का स्कीम-वार और राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ओबीसी और अन्यो के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 07.12.2021 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1389 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कक्षा IX और X में अध्ययनरत एससी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अंतर्गत राज्यवार लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई केंद्रीय सहायता (सीए)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21	
		जारी सीए	लाभार्थियों की संख्या	जारी सीए	लाभार्थियों की संख्या	जारी सीए	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	-	एनआर	-	223722	4944	236337
2	असम	-	एनआर	-	720	-	912
3	बिहार	-	480497	5550	एनआर	-	531536
4	चंडीगढ़	-	2268	27	1500	-	1000
5	छत्तीसगढ़	-	84747	1041	88138	-	एनआर
6	दादरा और नगर हवेली	-	एनआर	-	एनआर	-	46
7	दमन और दीव	-	एनआर	-	119	0.83	एनआर
8	दिल्ली	-	39	268	14643	291	16500
9	गोवा	-	एनआर	-	एनआर	3.6	200
10	गुजरात	-	73716	1440	61052	1044	56684
11	हरियाणा	-	एनआर	368	147104	-	एनआर
12	हिमाचल प्रदेश	-	एनआर	-	20665	408	15458
13	जम्मू और कश्मीर	-	1093	70	4978	260	891
14	झारखंड	1634	45992	676	44352	659	38015
15	कर्नाटक	-	222775	3691	260732	6230	323332
16	केरल	-	एनआर	19	75728	1368	59312
17	मध्य प्रदेश	-	एनआर	406	323545	7784	318631
18	महाराष्ट्र	-	एनआर	-	74365	-	एनआर
19	मणिपुर	-	1149	45	1379	-	485
20	मेघालय	-	एनआर	-	एनआर	-	एनआर
21	उड़ीसा	996	183072	2590	171450	3512	153073
22	पुदुचेरी	-	एनआर	-	2693	27	4000
23	पंजाब	-	228633	3029	एनआर	2743	217729
24	राजस्थान	3075	233651	3323	168095	3827	203083
25	सिक्किम	-	127	4	152	5	118
26	तमिलनाडु	-	256720	-	257855	5018	278838
27	तेलंगाना	-	एनआर	-	15423	-	9051
28	त्रिपुरा	259	15823	469	3585	-	4592
29	उत्तर प्रदेश	2706	531589	9075	541551	12096	362511
30	उत्तराखंड	-	एनआर	344	22492	143	26990
31	पश्चिम बंगाल	2870	268475	2854	283504	6540	209552
	<b>कुल</b>	<b>11540</b>	<b>2630366</b>	<b>35289</b>	<b>2809542</b>	<b>56903</b>	<b>3068876</b>

एनआर- सूचना नहीं दी।

अनुबंध-II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत उपलब्धियों का राज्यवार अनुबंध-II

राशि और लाभार्थी लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21	
		जारी निधिया	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधिया	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधिया	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	890.00	0.64	841.00	0.11214	967.00	
2	बिहार	0.00	80.95	1128.668	60.22000	0.00	
3	छत्तीसगढ़	460.00	9.25067	0.00	8.51580	577.40	8.37420
4	गोवा	30.00	0.06	19.50	0.23000	34.51	
5	गुजरात	1090.00	0.97	800.00	1.03477	800.00	
6	हरियाणा	190.00	0.00	190.00	0	0.00	0
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0	141.55	
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	150.32	0.13537	0.00	
9	झारखंड	595.00	0.54	955.85	0.34000	650.00	
10	कर्नाटक	1105.00	13.32539	1741.85	15.34192	1384.84	11.24875
11	केरल	453.75	1.80	962.51	2.30834	756.82	
12	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
14	उड़ीसा	482.67	1.11	717.00	1.21000	825.00	1.36661
15	पंजाब	198.00	2.54	775.26	2.21000	546.00	2.09809
16	राजस्थान	930.00	3.25	1115.29	1.66000	1555.06	
17	तमिलनाडु	0.00	0.00	1896.00	1.11000	1633.275	
18	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
19	उत्तर प्रदेश	3605.00	2.57	5590.35	8.33622	4081.00	1.56174
20	उत्तराखंड		0.00	0.00	0	228.89	
21	पश्चिम बंगाल	1650.00	5.36	2592.15	4.28000	2069.20	4.21970
22	असम	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.02576
23	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.03000	72.31	
24	सिक्किम	4.49	0.01	7.31	0.00991	7.79	0.00912
25	त्रिपुरा	300.00	0.60	350.00	0.66000	215.275	0.38934
26	अंडमान और निकोबार द्वीप	9.23	0.01	15.06	0	26.05	
27	चंडीगढ़	10.05	0.01	10.00	0.01000	8.15	
28	दादरा और नगर हवेली	0.90	0.00060	0.795	0		
29	दमन और दीव	79.82	0.05	74.145	0.00734	8.25	
30	दिल्ली	58.75	0.10	183.00	0.11000	0.00	0.06666
31	पुदुचेरी	41.25	0.03	41.25	0.03000	3.00	0.02750
	<b>कुल:</b>	<b>12183.91</b>	<b>123.18</b>	<b>20157.31</b>	<b>107.90181</b>	<b>16591.37</b>	<b>29.38747</b>
	\$ प्रतीक्षित						

^ दिल्ली वर्ष 2019-2020 के 100.00 लाख रुपए वर्ष 2020-2021 में उपयोग हेतु प्राधिकृत।

\*\*\*\*\*